

खातेदारी भूमि अन्तर्गत कार्यवाही राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90(ख)(3) एवं सपटित राजस्थान कारतकारी अधिनियम 1955 की धारा 63(I)(II) के अन्तर्गत जयपुर विकास प्राधिकरण के हक में भूमि समर्पित किये जाने के क्रम में।

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का अवलोकन किया गया। संक्षिप्त मांगला इस प्रकार है : राजस्व ग्राम-रामजीपुरावास नायला, तहसील-जमवारामगढ़ के खसरा नं. 104/1 रकबा 2 बीघा 6 बिरवा के खातेदार जगदीश पुत्र रामूलाल, जाति-मीणा द्वारा **संवैधानिक प्रयोजनार्थ** प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में पेश किया। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ राजस्व ग्राम-रामजीपुरावास नायला, तहसील-जमवारामगढ़ की जमाबंदी संख्या-2054-2057 की सत्यप्रतिरिपि तथा नक्शा ट्रेड की प्रति पेश की है। प्रार्थी ने उक्त भूमि के संबंध में 100/- के नीम ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर उक्त भूमि को जयपुर विकास प्राधिकरण के पक्ष में समर्पित करने के लिए समर्पणनामा पेश किया है, एवं निवेदन किया है कि उपरोक्त भूमि विवाद रहित है। इस पर किसी प्रकार का प्रभार नहीं है। राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा 90-बी-(3) सपटित राजस्थान कारतकारी अधिनियम-1955 की धारा-63(I)(II) के अन्तर्गत अपने खातेदारी अधिकार पुनर्ग्रहण योग्य बताया है। यह भी उक्ति किया है कि प्रसंगत भूमि राजस्थान भूमि सुधार एवं भू-स्वामी की सम्पदा अर्जन अधिनियम-1963/नगरीय भूमि अधिकतम सीमा एवं विनियमन अधिनियम-1976/राजस्थान कृषि जोत अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम-1973 के प्रावधानों से प्रभावित नहीं है। इस सम्बन्ध में कोई विवाद न्यायालय में लम्बित नहीं होना बताया है, साथ ही प्रार्थी ने लिखा है कि मैं, इस घबनबद्धता के साथ अपने समस्त हकों को समर्पित करता हूँ कि मैं, इस समर्पण के प्रतिकूल के रूप में किसी प्रकार के मुआवजे या क्षतिपूर्ति की माँग नहीं करूँगा तथा इस सम्बन्ध में न्यायालयों में विचाराधीन समस्त मामलों को उठा लूँगा। खातेदार द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा-90 (बी) की उपधारा (3) के प्रावधानों के अन्तर्गत अपने खातेदारी अधिकार समर्पित किये हैं एवं खातेदारी अधिकारी का पदावसान कर भूमि के समस्त अधिकार राज्य सरकार में पुनर्ग्रहित करने का अनुरोध किया है।

इस भूमि के संबंध में अमीन, तहसीलदार एवं जोन के सहायक नगर नियोजक से रिपोर्ट ली गयी। रिपोर्ट अमीन एवं तहसीलदार ने प्रार्थी के स्वाक्षिप्त की पुष्टि करते हुये प्रसंगत भूमि प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज होना बताया है। सहायक नगर नियोजक की रिपोर्ट के अनुसार भूमि का भू-उपयोग जयपुर के मास्टर विकास योजना-2011 में ग्रामीण क्षेत्र दर्शित है, मास्टर विकास योजना-2011 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र से **संवैधानिक प्रयोजनार्थ** भू-उपयोग उपान्तरण की स्वीकृति कार्यकारी समिति की 152वीं बैठक दिनांक 21.06.2010 के अनुसार राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 16.04.2010 की शर्तों के अध्याधीन दिनांक 09.08.2010 को किया जा चुका है, जिसका राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 16.08.2010 को होकर भू-उपयोग उपान्तरण की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है।

इस प्रकार वर्तमान में भूमि का उपयोग अकृषि प्रयोजनार्थ करने की मंशा जाहिर होना स्पष्ट है। अतः इस प्रकरण में भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा 90-बी(3) सपटित धारा-63(I)(II) राजस्थान कारतकारी अधिनियम के अन्तर्गत समर्पित किये जाने के सम्बन्ध में धारा 90-बी की सार्वजनिक सूचना क्रमांक-डी-1045 दिनांक 17.06.2010 को जारी की गई, जिसका प्रकाशन दो राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्रों दैनिक भास्कर एवं समाचार जगत में दिनांक 19.06.2010 को हुआ। इस संबंध में निर्धारित समयवधि में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुए। प्रसंगत भूमि को भूमि सुधार एवं भू-स्वामी की सम्पदा अर्जन अधिनियम-1963 नगरीय भूमि अधिकतम सीमा एवं विनियमन अधिनियम-1976 राजस्थान कृषि जोत अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम-1973 के प्रावधानों से प्रभावित नहीं बताया है। इस सम्बन्ध में न्यायालय में कोई विवाद लम्बित नहीं होना बताया है। प्रसंगत भूमि किसी अवधि में अथवा जयपुर विकास प्राधिकरण की किसी योजना में बाधित नहीं है।

वर्तमान में भूमि का उपयोग अकृषि प्रयोजनार्थ करने की मंशा जाहिर होना स्पष्ट है। अतः इस प्रकरण में भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा 90-बी के तहत कार्यवाही किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में राजस्व ग्राम-रामजीपुरावास नायला, तहसील-जमवारामगढ़ के खसरा नं. 104/1 रकबा 2 बीघा 6 बिरवा के खातेदार जगदीश पुत्र रामूलाल, जाति-मीणा के खातेदारी अधिकार भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा 90-बी (3) एवं सपटित राजस्थान कारतकारी अधिनियम-1955 की धारा-63 (I)(II) के अन्तर्गत पदावसान किए जाते हैं व भूमि पुनर्ग्रहीत की जाकर, जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम-1962 की धारा-54 के अन्तर्गत भूमि का स्वाक्षिप्त जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के नाम घोषित किया जाता है। राजस्व रिकार्ड में अगल दरामद हेतु तहसीलदार-जमवारामगढ़ को लिखा जाये।

निर्णय आज दिनांक 4/5/2011 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



परिपत्रित-तहसीलदार-जमवारामगढ़ को भेजकर लेख है कि उक्त भूमि का नामान्तरण जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के नाम खोलकर, प्रति भिजवाने का अम करावे।

उपायुक्त एवं प्राधिकृत अधिकारी जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
उपायुक्त एवं प्राधिकृत अधिकारी जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर



सत्यमेव जयते

राजस्थान राज-पत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

श्रावण 25, सोमवार, शके 1932-अगस्त 16, 2010
Sravana 25, Monday, Saka 1932-August 16, 2010

भाग 6 (ख)

जिला बोर्डों, परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी विज्ञापितियां आदि।

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
अधिसूचना

जयपुर, अगस्त 9, 2010

संख्या एक. 157(13) जविप्रा/वननि (मा. प्लान) भू. उपा./10/774-जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 25(3) के अनुसरण में मास्टर विकास योजना 2011 जयपुर क्षेत्र जयपुर के भू-उपयोग में निम्नलिखित विवरण के अनुसार उपान्तरण हेतु अधिसूचना दिनांक 18-12-2009 को दो समाचार पत्रों महका नास्त एवं दैनिक नवज्योति में प्रकाशित की गई। 15 दिवस की निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुये। प्रकरण को कार्यकारी समिति की 152वीं बैठक दिनांक 21-06-10 में रखा जाकर भू-उपयोग उपान्तरण करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

उपान्तरण

जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 की धारा 25 की उप-धारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जविप्रा कार्यकारी समिति की 152वीं बैठक दिनांक 21-06-10 को जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम रामजीपुरावासनायला तहसील जनवारामगढ़ के खसरा नं. 104/1 संख्या 2 बीघा 6 बिस्वा अर्थात् 5816.70 व. म. भूमि में से मौके पर उपलब्ध 5803.25 व. मी. भूमि में से सड़क सीमा से प्रभावित 466.25 वर्ग मीटर भूमि जविप्रा को निशुल्क समर्पित करने के पश्चात् शेष 5337.00 वर्ग मीटर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण मास्टर विकास योजना 2011 के भू-उपयोग मानचित्र में ग्रामीण से संस्थानिक प्रयोजनार्थ किया जाता है। भू-उपयोग परिवर्तन की अधिसूचना जारी होने के पश्चात् एवं डिमाण्ड नोट जारी होने की दिनांक से तीन माह के अन्दर समस्त राशि जमा कराकर पट्टा लेना अनिवार्य होगा अन्यथा भू-उपयोग परिवर्तन निरस्त माना जावेगा। भू-उपयोग परिवर्तन के पश्चात् तीन वर्ष की अवधि में परिवर्तित उपयोग अनुसार कम से कम 25 प्रतिशत विकास/निर्माण कार्य पूरा किया जाना आवश्यक होगा।

उक्त उपान्तरण माननीय उच्च न्यायालय में मास्टर प्लान में भू-उपयोग उपान्तरण से संबंधी विधाराधीन रिट पिटीशन सं. 1554/2004 के अन्तिम निर्णय के अध्वधीन होगा।

यह विज्ञापित आज दिनांक 9-8-2010 को जारी की गई। उक्त अधिसूचना राजस्थान राज-पत्र के असाधारण अंक एवं राज्य के दो प्रमुख समाचार पत्रों (सभी संस्करण राज्य) में प्रकाशित होने के पश्चात् ही मान्य होगी।

पी. अरविन्द,

वरिष्ठ नगर नियोजक (मा. प्लान),
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।